

राजस्थान सरकार
निदेशालय, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएँ राज. जयपुर
क्रमांक :- ई-18/एम/एफ. 30282/2024/
दिनांक:

आदेश

वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ.1(2)एफडी/रूल्स/2006-। दिनांक 16.01.2020 में उल्लेखित प्रावधानों के अनुसार स्व. श्री सिद्धार्थ मेवाल, कनिष्ठ सहायक जिनकी राज्य सेवा में प्रथम नियुक्ति तिथि 23.03.2022 है एवं राज्य सेवा में रहते हुए कार्मिक की मृत्यु दिनांक 06.04.2024 को हो चुकी है, का परिवीक्षा काल में निम्न अवधि का असाधारण अवकाश स्वीकृत किया जाता है:-

1. दिनांक 02.06.2023 से 29.07.2023 तक 58 दिवस
 2. दिनांक 13.09.2023 से 14.09.2023 तक 02 दिवस
 3. दिनांक 16.09.2023 से 17.09.2023 तक 02 दिवस
 4. दिनांक 29.11.2023 से 30.11.2023 तक 02 दिवस
 5. दिनांक 13.12.2023 से 15.12.2023 तक 03 दिवस
 6. दिनांक 14.02.2024 से 06.04.2024 तक 53 दिवस
- कुल-120 दिवस**

उक्त आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

नोट:- कार्मिक द्वारा परिवीक्षाकाल में 30 दिवस से अधिक असाधारण अवकाश का उपभोग किये जाने के कारण 120 दिवस की परिवीक्षा काल अवधि में अभिवृद्धि की जाती है।

(राकेश कुमार शर्मा)
निदेशक (अराजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
राजस्थान, जयपुर

दिनांक: 31/01/2025

क्रमांक :- ई-18/एम/एफ. 30282/2024/91

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, जयपुर ।
2. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, दौसा ।
3. चिकित्सा अधिकारी प्रभारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बैजुपाडा, जिला दौसा ।
4. प्रभारी सर्वर रूम मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करावें ।
5. आदेश/निजी पत्रावली ।

Document certified by RAKESH KUMAR SHARMA <rasrakeshsharma@gmail.com>

Digitally Signed by Rakesh Kumar Sharma
Designation: Director
Date :31-01-2025 01:04:34